माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

रिवीजन प्रकरण क्रमांक /

श्रीमती लता सोनकर पत्नि श्री बाबूशंकर सोनकर
साकिन 480 भरतीपुर, जबलपुर ---**आवेदक / पिटीशनर**

वि रू द्व

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा उप पंजीयक जबलपुर -- **प्रत्यार्थी**

रिवीजन अंतर्गत धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

आवेदक / पिटीशनर माननीय न्यायालय से निवेदन करता है :-

यह कि आवेदक / पिटीशनर न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्पस जिला जबलपुर म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 168 / बी-103 / धारा 33 / 2004-05 पक्षकारों के नाम मध्यप्रदेश शासन द्वारा उप पंजीयक जबलपुर विरूद्व श्रीमति लता सोनकर वगैरह में पारित आदेश दिनांक 02.6.2007 से दुखित होकर श्रीमान कमिश्नर महोदय के यहां प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 47 का भारतीय स्टाम्प अधिनियम में पारित आदेशानुसार उक्त रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

तथ्य

यह कि पिटीशनर / अनावेदक द्वारा मौजा पुरवा नं.बं. 162 प.ह.नं. 28 / 33 रा.नि.मण्डल जबलपुर-1 तहसील व जिला जबलपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 662 / 7 कुल रकवा 9.328 हेक्टर में से 4 एकड़ भूमि श्री कुंवर बहादुर सोनकर आत्मज स्व. श्री मोतीलाल सोनकर निवासी 348 भरतीपुर जबलपुर वगैरह से दिनांक 31.03.2005 को खरीद की थी ।

यह कि उपरोक्त वर्णित संपत्ति के संबंध में अनावेदक / क्रेता ने अनावेदक विक्रेता से सम्पत्ति की संपूर्ण प्रतिफल की राशि 8,00,000 / - अंकन आठ लाख रूपया प्राप्त कर पिटीशनर / अनावेदक क्रेता को उक्त सम्पत्ति का रिक्त आधिपत्य भी उसी दिनांक को सौंप दिया गया था ।

--2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 2000–पीबीआर/07 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–6–2016	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री बी0एन0 त्यागी उपस्थित । 2/ प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में दिनांक 14–7–09 के बाद से आवेदक/ उनके अधिवक्ता लगातार अनुपस्थित हैं । दिनांक 14–7–09 के बाद आवेदक को अनेक सूचनापत्र उपस्थित होने हेतु भेजे गये हैं परंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	